अध्याय-8 निष्कर्ष

स्वच्छता की अवधारणा के अन्तर्गत वैयक्तिक स्वास्थ्यकर, घर की साफ-सफाई, सुरक्षित पेयजल, कूड़ा निस्तारण, मल निस्तारण एवं गन्दे पानी का निस्तारण समाहित है। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, जिसे बाद में 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया गया था। बाद में सं.स्व.अ. को 01 अप्रैल 2012 की प्रभावी तिथि से निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) के नाम से पुनर्नामित किया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा से निकाले गए निष्कर्षों को निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

दोषपूर्ण योजना

योजना बनाने के स्तर पर नोट किया गया, चिंता का मुख्य क्षेत्र आधारभूत दृष्टिकोण की कमी थी। ग्राम पंचायत योजनाएं जिला योजनओं से संयोजित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, जिनसे दोनों स्तरों के बीच कड़ी के रूप में बनकर रहना अपेक्षित था उसे भी कई स्थानों में स्थापित नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत योजना को ब्लॉक योजना में समेकित नहीं किया गया था तथा लगभग आधे नमूना परीक्षित जिलों में इसे जिला योजना में समेकित नहीं किया गया था। योजना में समाप्त या अप्रयुक्त शौचालयों या अकार्यात्मक शौचालयों वाले ग्रामीण घरों के वापिस पूर्व स्थिति में पहुंचने की संभावना या वृद्धि या कमी को मापने का कोई तंत्र नहीं था।

निधियों का कम उपयोग

कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के अंतरण में विलंब ने भी योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की थी। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध निधियों का व्यय करने में भी शिथिलता बरती गई थी। विपथनों तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों ने भी कम उपयोग के प्रति योगदान किया जिसने लक्ष्यों की भौतिक उपलब्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

अवास्तविक लक्ष्य

राज्य सरकारों द्वारा निधि उपलब्धता तथा संस्वीकृत योजनाओं को निष्पादित करने की उनकी क्षमता को ध्यान में न रखते हुए शौचालयों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके कारणवश, प्रत्येक वर्ष के अंत में उपलब्ध निधियों के 40 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत तक की काफी बड़ी राशियां अव्ययित रही थी।

शौचालयों एंव अवसरंचना का निर्माण

अकार्यात्मक शौचालय की उच्च व्यापकता ने ग्रामीण स्वच्छता की समस्या से निपटने में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को अप्रभावी बना दिया जिसके कारण स्वच्छता सुविधाओं में ज्यादा सुधार नहीं आया तथा बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश निष्फल रहा। इसके कारण मुख्य रूप से निर्माण की खराब गुणवत्ता, जल की अनुपलब्धता, असतत तथा वित्तीय एंव व्यावहारिक बाधाएं थी।

अप्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

सामुदायिक स्तर पर अपेक्षित जागरूकता का सृजन करने के सचेत प्रयास के बिना सू.शि.सं. गतिविधियों को कार्यान्वित किया गया था। इन गतिविधियों को अधिकतर निधि उपयोग अभ्यास के रूप में दैनिक

प्रशासनिक तरीके से शुरू किया गया था, इन्हे जागरूकता सृजन तथा मांग सृजन प्रक्रियाओं से सुव्यवस्थित रूप से संयोजित नहीं किया गया था।

अभिसरण

अधिकतर राज्यों में, ग्रामीण लोगों को स्वच्छता के लाभों से वंचित रखा गया था क्योंकि बहुत कम व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का इंदिरा आवास योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण किया गया था तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, स्कूल के शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों तथा ठोस एंव द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कोई अभिसरण नहीं हुआ था।

कमजोर अनुश्रवण तथा मूल्यांकन तंत्र

मंत्रालय के पास नमूना जांच आधार पर भी परियोजना प्रधिकारियों द्वारा सूचित भौतिक एंव वित्तीय प्रगति को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। स्वच्छता पर जागरूकता तथा स्वास्थ्यकर मुद्दों जैसे गुणात्मक मापदंडों की मॉनीटरिंग तथा योजना बनाने एंव परिचालन विवरणों की कुल प्रभावकारिता की उपेक्षा की गई थी।

मंत्रालय आंकड़े प्राप्त करने का विश्वसनीय एंव सत्यापन-योग्य तरीका नहीं अपना पाया। विभिन्न घटकों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण उनके उपयोग तथा उनका पूर्व स्थिति में पहुंच के एकत्रित आंकड़े ऐसे मुद्दे है जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है। स.प्र.सू.प्र. (समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली) पर प्राप्त किया गया डाटा में सत्यता का अभाव था तथा स.प्र.सू.प्र. पर भौतिक प्रगति काफी अधिक रूप से सूचित किया गया था। डाटा की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निरंतर

मॉनीटरिंग तथा विभिन्न स्तरों पर डाटा का सत्यापन तथा जांच किया जाना अपेक्षित है।

तीव्र गति से स्वच्छता में सुधार करने के लिए सू.शि.सं. गतिविधियों की सावधानी से योजना बनाए जाने तथा मांग सृजन हेतु सामुदायिक स्तर पर वितरित किए जाने की आवश्यकता थी। इसे अपेक्षित सुविधाओं के सृजन तथा मात्रात्मक एंव गुणात्मक अवसंरचना द्वारा संपूरित किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक